बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

लक्खीसराय जिलान्तर्गत मो. सत्तार अंसारी, पचना रोड नया बाजार लक्खीसराय के स्थायी निवासी हैं, उन्होंने 1967, 1975 और 1998 में कुल- 08 (आठ) डिसमिल जमीन खरीदा था, जिसमें तीन डिसमिल एक कट्ठा पर मकान बनाकर वर्षों से अपने परिवार के साथ रह रहा है, शेष जमीन परती पड़ी हुई है। विगत कुछ दिनों में परती पड़ी हुई जमीन पर उनके बगलगीर स्व. हरिहर मंडल के परिवार कुछ असमाजिक तत्वों से मिलकर जमीन के कुछ हिस्से पर जबरदस्ती कब्जा कर लिए हैं और झोपड़ी बनाकर जानवर को रख रहे हैं, जिससे नाला का पानी निकलना बंद हो गया है। गंदा पानी जल जमाव से महामारी फैलने की संभावना है। इस संबंध में जिला के उच्च पदाधिकारियों को लिखित एवं मौखिक सूचना भी दिया गया है, परन्तु अभी तक प्रशासन द्वारा अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

अत: मो. सत्तार अंसारी की जमीन की नापी (सीमांकन) कराकर अवैध रूप से कब्जा किए हुए जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त करते हुए दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने हेतु सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- गुलाम रसूल,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 110/2017– 520 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 21.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ गृह विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 24.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

21/03/17

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली एवं चम्पारण जिला के बीच वर्तमान में कार्यरत सीतामढ़ी जिला में मात्र रीगा सुगर कम्पनी लि. चालू हालत में है। रीगा सुगर मिल के आस-पास के गन्ना उत्पादक किसानों के लिए एक मात्र जीविका का सहारा बनकर रह गया है। गन्ना उत्पादक किसानों का रीगा सुगर कं.लि. के ऊपर लगभग 10 करोड़ से अधिक की राशि बकाया है, जबकि रीगा सुगर कं.लि. का भी राज्य सरकार के ऊपर लगभग 11 करोड़ से अधिक रुपया का बकाया लंबित है। यदि सरकार कम्पानी को बकाया राशि का भुगतान करती है तो कम्पनी गन्ना किसानों का बकाया राशि भुगतान करने में सक्षम होगी।

अत: मैं सरकार से गन्ना किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए रीगा सुगर कं.लि. के बकाए राशि का भुगतान करने के संबंध में सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- देवेश चन्द्र ठाकुर,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 105/2017– 515 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 21.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य.माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ गन्ना उद्योग विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 24.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बाल विकास परियोजना, पटना सदर-1 के अंतर्गत पटना नगर निगम वार्ड संख्या-105 पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से पोषक क्षेत्र के बाहर रहने वाली श्रीमती उर्मिला देवी, आंगनबाड़ी सहायिका का चयन नियम विरूद्ध तरीके से किया गया था। चयन के विरूद्ध लिखित शिकायत पर जांचोपरांत आंगनबाड़ी सहायिका का चयन रद्द कर दिया गया।

ज्ञात हो कि समेकित बाल विकास परियोजना, पटना सदर-1 द्वारा चयन के लिए निर्धारित फार्म में गलत सूचना भरकर श्रीमती उर्मिला देवी द्वारा जाली प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर पुन: श्रीमती उर्मिला देवी का आंगनबाड़ी सहायिका का चयन कर लिया गया जबकि उक्त पोषाहार क्षेत्र की मेधासूची में आंगनबाड़ी सहायिका का चयन नहीं किया गया।

अत: बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पटना सदर-1 द्वारा चयन में की गई अनियमितता की जांच करने तथा चयन रद्द के बावजूद पुन: चयन की जांच तथा चयन में संलिप्त पदाधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट की मांग करता हूं।

ह./- मनोज यादव,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 106/2017– 516 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 21.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ समाज कल्याण विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 24.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

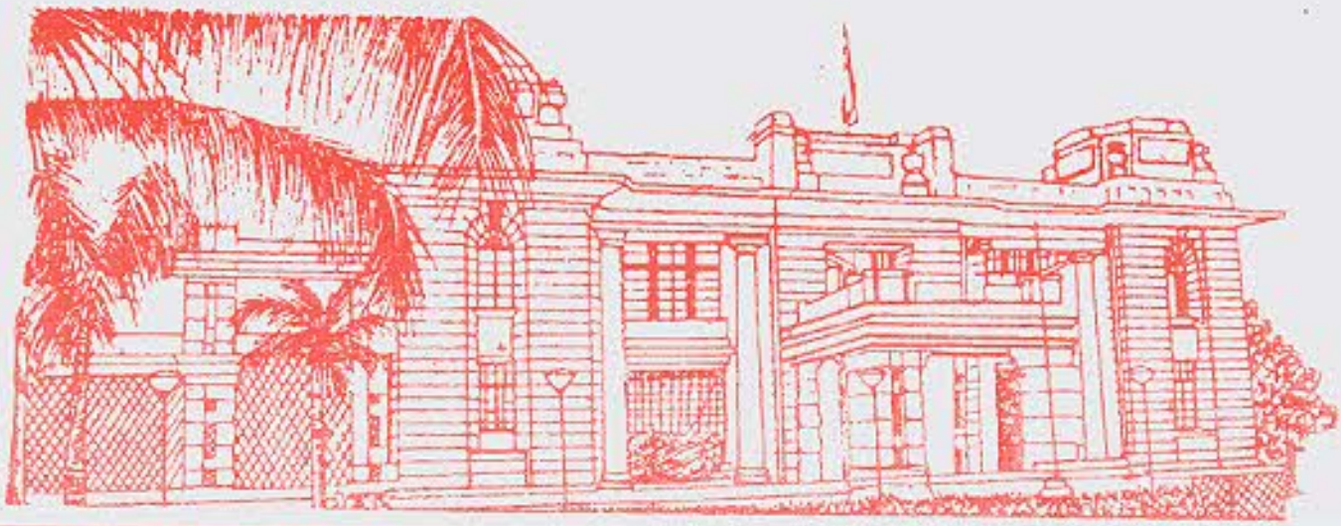

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

वैशाली जिलान्तर्गत आकाश राईस मिल्स इंडस्ट्रीयल एरिया हाजीपुर द्वारा वित्तीय वर्ष- 2012-13 में 6.5 (साढ़े छः) करोड़ रुपये का गबन किया गया था जिसके कारण उक्त मिल मालिक के विरूद्ध एफ.आई.आर. भी किया जा चुका है। एफ.आई.आर. के पश्चात् कुछ दिनों तक उक्त मिल को बंद कर दिया गया। पुराने नाम और बोर्ड बदल कर उसी मालिक द्वारा पुनः 12 करोड़ रुपये का ऋण बैंक से लेकर उसी जमीन पर मिल चालू किया गया है, जो बियाडा के नियमों के विरूद्ध है।

अतः सरकारी राशि का गबन करने वाले मिल मालिक को पुनः ऋण लेकर बियाडा के उसी जमीन पर मिल चलाने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- सुबोध कुमार,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 107/2017– 517 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 21.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ उद्योग विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 24.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

स्व. विशेश्वर ओझा की अपराधियों द्वारा 12.02.2016 को दिन-दहाड़े नृशंस हत्या कर दी गई। जिसमें भोजपुर जिला के शाहपुर थाना में कांड संख्या- 48/16 दर्ज है। प्रशासनिक निष्क्रियता का आलम यह है कि घटना के एक वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी इस घटना का मुख्य अभियुक्त 50 हजार का इनामी कुख्यात ब्रजेश मिश्रा पुलिस की पकड़ से बाहर है। स्व. ओझा कि हत्या में राजनैतिक साजिश से इंकार नहीं किया जा सकता है। घटना के पूर्व एवं बाद में मोबाईल नं.- 9334101221 सहित कई अन्य नंबरों पर अभियुक्तों द्वारा लंबी बातचीत की गई है। जिसका सीडीआर पुलिस द्वारा निकाला गया है लेकिन उन लोगों से अबतक पूछताछ नहीं की गई है। साथ ही इस कांड के प्राथमिक एवं अप्राथमिक अभियुक्तों से पुलिस द्वारा हत्या में प्रयुक्त 4 रेगुलर रायफल बरामद की गई है। लेकिन अबतक उक्त रायफलों के स्वामित्व का पता नहीं लगाया गया है, जो घोर आश्चर्यजनक है।

अत: स्व. विशेश्वर ओझा की हत्या से संबंधित गंभीर विषय पर सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- मंगल पाण्डेय, स. वि. प.
ह./- रजनीश कुमार, स.वि.प. एवं
ह./- संजय प्रकाश, स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 108/2017 - 518 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 21.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ गृह विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 24.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पटना शहर स्थित मुहल्ला महात्मा गांधी नगर, कांटी फैक्ट्री रोड, कंकड़बाग स्थित टी.वी. टावर से सटे पश्चिम कई एकड़ खाली भू-खंड पड़ा हुआ है, जिसमें सालों भर जल जमाव और गंदगी की भरमार रहती है। दूसरे मुहल्ले से कूड़ा कचरा उठाकर अभी वहां गिराया जा रहा है। अगल-बगल काफी लोगों का घर बना हुआ है। जल जमाव एवं गंदगी के कारण पूरे मुहल्ले में सालों भर मच्छरों का भयंकर प्रकोप रहता है, जिसके कारण वहां के लोग हमेशा डेंगू जैसे बीमारियों के शिकार होते रहते हैं, इसके साथ ही विषैले सांप एवं कीड़े-मकोड़े भी उससे निकलते रहते हैं। जल जमाव एवं गंदगी के कारण पूरा मुहल्ला प्रदूषण एवं बीमारियों से त्रस्त है।

अत: उपरोक्त खाली भू-खंड को विकसित कर पूरे मुहल्लावासियों को जल जमाव, गंदगी एवं बीमारियों से निजात दिलाने हेतु सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- रामवचन राय,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 109/2017– 519 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 21.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 24.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

आई.टी.सी. फैक्ट्री मुंगेर में टी.एम.वर्क्स यूनियन, निबंधन संख्या- 68 मान्यता प्राप्त श्रमिक संघ है परन्तु श्रमिक संघ के आन्तरिक मामलों में पदाधिकारियों का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के द्वारा स्पष्ट आदेश पारित है कि श्रमिक संघों के आन्तरिक मामलों में पदाधिकारियों का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। परन्तु टी.एम. वर्क्स युनियन, मुंगेर निबंधन संख्या- 68 के आन्तरिक मामले में श्रमायुक्त बिहार जबरन हस्तक्षेप कर रहे हैं तथा उनकी मनसा अपने खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की है जो माननीय न्यायालय के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन हैं।

अत: मैं आई.टी.सी. फैक्ट्री के श्रमिकों की वाजिब मांगों के संबंध में श्रम विभाग की लापरवाही के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- विनोद नारायण झा, स.वि.प.
ह./- कृष्ण कुमार सिंह, स.वि.प. एवं
ह./- संजय प्रकाश, स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 111/2017 - 521 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 21.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ श्रम संसाधन विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 24.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् — ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बिहार प्रारंभिक उर्दू एवं बंगला (विशेष) शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा किया गया था, जिसके परीक्षाफल में काफी त्रुटियां थीं जिसके कारण दिनांक-11.02.2014 को उच्चस्तरीय बैठक में प्रथम एवं द्वितीय पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के स्थान पर क्रमश: 13 एवं 10 अंक अतिरिक्त देने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया तत्पश्चात परीक्षाफल प्रकाशित किया गया। जिसमें विषय उर्दू के प्रथम पत्र में कुल 23,698 तथा द्वितीय पत्र में 3,743 अभ्यर्थी योग्य पाए गए। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद बिहार बोर्ड के द्वारा मनमाने तरीके से रिजल्ट में गलत सवालों के बदले एक अंक दिए जाने के फैसले को बदलकर कोई अंक नहीं दिए जाने का फार्मूला लागू कर दिया गया। जिससे लगभग 12000 सफल अभ्यर्थी अचानक असफल घोषित कर दिए गए। इस संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा ग्रेस अंक देकर शिक्षकों को नियोजित किया जाना, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया, एक उदाहरण प्रस्तुत करता है।

अत: उर्दू शिक्षा के विकास एवं इस विषय के शिक्षकों की घोर कमी को देखते हुए तथा राज्य सरकार की प्रत्येक विद्यालय में उर्दू शिक्षकों की बहाली की वचनबद्धता को पूरा करने हेतु ग्रेस मार्क्स के सिद्धांत को लागू करके उर्दू शिक्षकों की बहाली अविलम्ब करने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- गुलाम रसूल, स. वि. प.
ह./- रामचन्द्र भारती, स.वि.प.
ह./- रणवीर नन्दन, स.वि.प.
ह./- राजेश राम, स.वि.प.
ह./- सलमान रागीब, स.वि.प.
ह./- रणविजय कुमार सिंह, स.वि.प. एवं
ह./- कमर आलम, स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 116/2017 - 522 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 21.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/.प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 24.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।